मानवाधिकार दिवस

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला **[मानवाधिकार दिवस](#)**, न्याय के आधार के रूप में मानवाधिकारों के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

- **वर्ष 2024 की थीम:** ***"?????? ???????, ?????? ???????, ?????? ????????? (Our Rights, Our Future, Right Now)"*** से एक शांतिपूर्ण एवं धारणीय भविष्य को आकार देने में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश पड़ता है।
- **ऐतिहासिक महत्त्व:** मानवाधिकार दिवस की शुरुआत वर्ष 1950 में **[मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR)](#) के उपलक्ष्य** में की गई थी, जिसे **10 दिसंबर,** 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था।
    - वर्ष 2006 में स्थापित संयुक्त **राष्ट्र मानवाधिकार परिषद** अपने 47 सदस्य देशों (भारत सहित) के माध्यम से वैश्विक मानवाधिकार संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
        - इस परिषद का सचिवालय **मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR)** है जो **जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड** में स्थित है।
- **प्रेरक कार्रवाई:** यह दिन **[हेट स्पीच](#), [फेक न्यूज़](#)** और **[मानवाधिकारों](#)** के हनन का मुकाबला करने के क्रम में सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करने के साथ समानता को बढ़ावा देने एवं भेदभाव को समाप्त करने पर केंद्रित है।
- **मानवाधिकार और भारत:** भारतीय संविधान में **मूल अधिकारों (भाग III)** तथा **राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों (भाग IV)** के माध्यम से मानवाधिकारों को सुनिश्चित किया गया है।
    - प्रस्तावना में शामिल न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व जैसे शब्दों से **UDHR की भावना** प्रतिबिंबित होती है।
    - **[राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)](#)** का गठन **वर्ष 1993** में **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA)** के तहत हुआ था। यह भारत में मानवाधिकारों की देखरेख हेतु उत्तरदायी है।

//

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

NHRC के अनुसार, मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा की गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है, जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य हैं।

- भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी
- **स्थापना:** वर्ष 1993 (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप)
- **अधिनियम:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993

राज्य मानवाधिकार आयोग

- PHR अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित
- **सदस्यों की नियुक्ति:** राज्यपाल द्वारा
- **सदस्यों का निष्कासन:** राष्ट्रपति द्वारा

मानवाधिकार दिवस: 10 दिसंबर

कार्य

- मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जाँच करना
- मामलों का स्वतः संज्ञान
- मानवाधिकार कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुशंसा करना
- मानवाधिकार जागरुकता फैलाना
- मानवाधिकार मुद्दों पर अध्ययन करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना

शक्तियाँ

- व्यक्तियों को समन देना, गवाहों की जाँच करना और साक्ष्य प्राप्त करना
- यह सुनिश्चित करने के लिये जेलों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना कि यहाँ स्थितियाँ मानवीय हैं
- मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना

NHRC के सदस्य

संघटन

- 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य
- **अध्यक्ष:** सेवानिवृत्त CJI/SC के न्यायाधीश
- **प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव

कार्यकाल

- 3 वर्ष / 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)

नियुक्ति

- **6 सदस्यीय समिति** (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता) की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी सदस्य

निष्कासन

- राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है
- **आधार:** दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) में स्थिति:

- **NHRC** को वर्ष 1999 से **'A'** श्रेणी का दर्जा प्राप्त है
- **'A' श्रेणी की स्थिति :** वर्ष 2006, 2011 और 2017 में बरकरार रही
- **'A' स्थिति का निलंबन:** वर्ष 2023 और वर्ष 2024

Drishti IAS

और पढ़ें: मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/human-rights-day-2